भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
....

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2465**
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 मार्च, 2016/21 फाल्गुन, 1937 (शक) को दिया जाने वाला है)
**प्रत्यक्ष विदेशी निवेश**

**2465. डॉ. उदित राजः**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार के समक्ष लंबित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रस्तावों की राज्य-वार और परियोजना-वार संख्या और उनके लंबित होने के कारण क्या हैं;

(ख) सरकार ने विगत एक वर्ष में एफडीआई संबंधी कितने प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और लंबित प्रस्तावों को कब तब स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

**उत्तर**
**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)**

(क) से (ग): सरकार ने 2015 में अद्यतन वेबसाइट, नामतः http://fipb.gov.in की शुरुआत की थी, जो अंतर-मंत्रालयी परामर्शों में तेजी लाने और आवेदकों से अतिरिक्त सूचना मंगाने में भी सहायता करती है। प्रस्तावों पर क्रमागत रूप से कार्य किया जा रहा है। सरकार इन प्रस्तावों पर मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार विचार करती है। अस्वीकृत प्रस्तावों की सूची एफआईपीबी की वेबसाइट, अर्थात http://fipb.gov.in Data Archive>Press Releases>Last One Year पर उपलब्ध है। 2015-16 के दौरान आज की तारीख तक विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की 17 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं जिनमें 298 प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। प्रस्तावों के निपटान में और तेजी लाने के लिए, एफआईपीबी सामान्यतया माह में दो बैठकें करता है। आज की तारीख तक 15.01.2016 तक के सभी प्रस्तावों पर विचार कर लिया गया है।

---